R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 12
जून 2017

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2017 को अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को व्यापक बनाया जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा बीमा/म्यूच्युअल फंड/अन्य थर्ड पार्टी निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली कमियों को शामिल किया जा सके। संशोधित योजना के अंतर्गत ग्राहक भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं करने पर बैंकों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकेगा।

अवार्ड पास करने के लिए बैंकिंग लोकपाल के धन-संबंधी अधिकारक्षेत्र को मौजूदा एक मिलियन रुपए से बढ़ाकर दो मिलियन रुपए किया गया है। समय की हानि, वहन किए गए खर्च, उत्पीड़न और शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा के लिए बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता को ₹ 1,00000 तक की क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है।

इस योजना के अंतर्गत करार द्वारा निपटान की गई शिकायतों की प्रक्रिया को भी संशोधित योजना में संशोधित किया गया है। अस्वीकरण के मामले में शिकायतों के लिए अब अपील की अनुमति दी गई है जो पहले उपलब्ध नहीं थी।

रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2017 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगी। संशोधित रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/commonman/Hindi/scripts/againstbank.aspx पर उपलब्ध है।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40853)

बैंकिंग विनियमन

पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इंफॉमेरिक्स

13 जून 2017 को रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी कि वे इनफोमेरिक्स (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ओम्नीबस मेट्रिक्स रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेट सिस्टम्स) वैल्यूएशन एण्ड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग का भी उपयोग पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के उनके जोखिम के लिए उनके दावों को भारित करने के लिए कर सकते हैं, जो मौजूदा छह घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (केयर, क्रिसिल, फिच इंडिया, आईसीआरए, ब्रिकवर्क रेटिंग्स और एसएमईआरए) के अलावा हैं। इंफॉमेरिक्स द्वारा सौंपे गए दीर्घकालिक और अल्पावधि रेटिंग के लिए रेटिंग-जोखिम भार मैपिंग, अन्य रेटिंग एजेंसियों के मामले में समान होंगे।

इससे पहले 1 जुलाई 2015 को,छह घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए बैंक के दावों के जोखिम के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई थी। इन देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंगों की मैपिंग बासल II ढांचे के अंतर्गत मानकीकृत पद्धति के अनुसार लागू उपयुक्त जोखिम भार से की गई है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11000Mode=0)

खातों में प्रविष्टियों के ब्यौरों की रिकॉर्डिंग

बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए, 22 जून 2017 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को खातों में प्रविष्टियों के संबंध में कम से कम न्यूनतम विवरण प्रदान करने की सलाह दी। बैंक पासबुक में पहले से ही जमाराशि बीमा कवर के बारे में सूचना देंगे, जिसमें समय- समय पर परिवर्तन के अधीन कवरेज की सीमा भी शामिल होगी।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि अनेक बैंक अभी भी पासबुक या/और खाता विवरण में लेनदेन का समुचित विवरण नहीं देते जिससे खाताधारक उनकी जांच कर सकें। बैंकों को पहले से ही सूचित किया गया था कि कि पासबुक/ खाता विवरण में जटिल प्रविष्टियाँ करने से बचें और पासबुक/ खाता विवरण में संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11009Mode=0)

बैंकिंग पर्यवेक्षण

शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के अंतर्गत संदर्भाधीन खाते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2017 को घोषणा कि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के अनुसरण में आंतरिक परामर्शदात्री समिति (आईएसी) का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक 12 जून 2017 को आयोजित की गई। बैठक में आईएसी इस स्तर पर बड़े दबावग्रस्त खातों पर ध्यानकेंद्रित करने के लिए सहमत हुई और तदनुसार ऐसे खातों को विचारार्थ लिया गया जो बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 500 एक्सपोज़रों के बीच पूर्ण या अंशकालिक अनर्जक खातों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	
• रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना में संशोधन किया	1
बैंकिंग विनियमन	
• पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इंफॉमेरिक्स	1
• खातों में प्रविष्टियों के ब्यौरों की रिकॉर्डिंग	1
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के अंतर्गत संदर्भाधीन खाते	1
• पीसीए के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण	2
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए	2
सहकारी बैंक विनियमन	
• पीपीआई जारी करने के लिए विनियमन	2
दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017-18	3
वित्तीय समावेशन और विकास	
• बैंकसुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों को बैंक सुविधा प्रदान करना	3
वित्तीय बाजार विनियमन	
• ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट के लिए एलईआई	3
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• विदेशों में रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करना	4
सरकारी और बैंक लेखा	
• पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पास बुक में पीपीओ संख्या की रिकॉर्डिंग	4
• एजेंसी कमीशन दावे प्रस्तुत करने की अवधि	4
• सरकारी प्राप्तियों के लिए एजेंसी कमीशन का भुगतान	4
आंतरिक ऋण प्रबंध	
• वार्षिक सूचना विवरणी की प्रस्तुति	4

पीसीए के अंतर्गत बैंकों पर स्पष्टीकरण

5 जून 2017 को रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि पीसीए ढांचे का उद्देश्य सामान्य जनता के लिए बैंकों के सामान्य परिचालनों को प्रतिबंधित करना नहीं है।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक अपने पर्यवेक्षी ढांचे के अंतर्गत बैंकों की अच्छी वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों/साधनों का उपयोग करता है। पीसीए ढांचा ऐसे पर्यवेक्षी साधनों में एक है जिसमें शुरुआती समय में चेतावनी कार्रवाई के रूप में बैंकों के कतिपय कार्यनिष्पादन संकेतकों की निगरानी करना शामिल है और इसे पूंजी, आस्ति गुणवत्ता आदि से संबंधित थ्रेशोल्ड का उल्लंघन होने पर शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए समयबद्ध तरीके में सुधारात्मक उपाय, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उपाय शामिल हैं, की सुविधा प्रदान करना है। यह ढांचा रिज़र्व बैंक को एक अवसर प्रदान करता है कि वह उन क्षेत्रों में अधिक निकटता से प्रबंधन के साथ मिलकर ऐसे बैंकों पर ध्यानकेंद्रित कर सके। इस प्रकार पीसीए ढांचे का प्रयोजन बैंकों को कतिपय जोखिमभरी गतिविधियां करने से बचने और पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कि उनके तुलन पत्र मजबूत बन सकें।

रिज़र्व बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पीसीए फ्रेमवर्क दिसंबर 2002 से परिचालन में है और 13 अप्रैल 2017 को जारी दिशानिर्देश पहले के फ्रेमवर्क का केवल एक संशोधित संस्करण है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के बारे में सोशल मीडिया सहित मीडिया के कुछ खंडों में परिचालित हो रही कुछ गलत सूचना का पता चला।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40668)

शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान करने के लिए खातों को संदर्भित करने हेतु आईएसी वस्तुनिष्ठ, बिना प्रभाव वाले मानदंड पर भी पहुंची। विशेषकर, आईएसी ने आईबीसी संदर्भ हेतु 5,000 करोड़ से अधिक बकाया राशि वाले निधि और गैर-निधि आधारित सभी खातों की सिफारिश की है जिनमें 60 प्रतिशत या इससे अधिक खातों को 31 मार्च 2016 तक की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा अनर्जक खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईएसी ने नोट किया कि संस्तुत मानदंडों के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली के वर्तमान सकल एनपीए के लगभग 25 प्रतिशत वाले 12 खाते आईबीसी के अंतर्गत तुरंत संदर्भ के पात्र होंगे।

उपर्युक्त मानदंडों के अंतर्गत पात्र नहीं होने वाले अन्य अनर्जक खातों के संबंध में, आईएसी ने सिफारिश की है कि बैंक छह महीनों के अंदर समाधान योजना को अंतिम रूप दें। जहां छह महीनों के अंदर व्यवहार्य समाधान योजना पर सहमति नहीं बनती हैं, वहां बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे आईबीसी के अंतर्गत शोध-अक्षमता संबंधी कार्यवाहियों के लिए फाइल करें।

रिज़र्व बैंक आईएसी की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को निदेश जारी करेगा कि वे चिह्नित खातों के संबंध में आईबीसी के अंतर्गत शोध-अक्षमता के लिए फाइल करें। ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा वरीयता दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी जिसमें बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के अनुसरण में उठाए गए कदमों और किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रेस प्रकाशनी में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक एक समिति का गठन करेगा जिसमें मुख्य रूप से इसके बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य होंगे जो उन मामलों के संबंध में परामर्श देंगे जिनपर शोध-अक्षमता और दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान के संदर्भ में विचार किया जा सकता है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40743)

सहकारी बैंक विनियमन

पीपीआई जारी करने के लिए विनियमन

रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2017 को एटीएम नेटवर्क रखने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों को अर्ध -सीमित (सेमि-क्लोस्ड) पीपीआई जारी करने की अनुमति है, बशर्ते कि बैंक को जमा लेने की स्वीकृति या पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। यह भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय -समय पर निर्धारित पात्रता मानदंड तथा अन्य दिशानिदेशों के अनुपालन के अधीन है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले सहकारी बैंकों को ओपन सिस्टम पीपीआई जारी करने की अनुमति भी होगी। बैंकों को इसके लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा :

- बैंक कोर बैंकिंग सल्यूशन (सीबीएस) के अनुरूप होना चाहिए;
- वर्तमान और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10% से कम नहीं होना चाहिए;
- वर्तमान और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 7% से कम तथा निवल एनपीए 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले निरीक्षण के अनुसार निर्धारित निवल मालियत 25 करोड़ से अधिक होनी चाहिए;
- वर्तमान और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए;
- बैंक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल लाभ होना चाहिए;
- बैंक के बोर्ड में दो व्यवसायिक निदेशक होने चाहिए तथा प्रणाली और नियंत्रण का प्रसार निम्नानुसार होना चाहिए:
  i. सभी शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा प्रणाली
  ii. सभी प्रमुख शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिदेश का संतोषजनक अनुपालन;
- पिछले दो वित्तीय वर्षों में तथा आवेदन जमा करने के वर्ष के दौरान बैंक पर कोई मौद्रिक दंड नहीं लगा हो;
- बैंकों को ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली पर बोर्ड से अनुमोदित एक व्यापक नीति का कार्यान्वयन संतोषजनक रूप से होना चाहिए जिसमें ग्राहकों की शिकायतों का समाधान जल्द किया जाता हो।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10981Mode=0)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी समिति के सदस्यों के नाम घोषित किए

रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2017 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जिसमें निगरानी समिति (ओसी) की संरचना की रूपरेखा दी गई थी जो निम्नानुसार है :

i. श्री प्रदीप कुमार (अध्यक्ष)
ii. श्री जानकी बल्लभ
iii. श्री एम.बी.एन.राव
iv. श्री वाई.एम.देवस्थली
v. श्री एस.रामन (7 सितंबर 2017 से प्रभावी)

पुनर्गठित निगरानी समिति (ओसी) दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना (एस4ए) योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित किए जा रहे मामलों के अतिरिक्त, अन्य मामलों के समाधान जहां उधारकर्ता संस्था के लिए बैंकिंग क्षेत्र का कुल एक्सपोज़र ₹ 500 करोड़ से अधिक है, की समीक्षा करने हेतु विस्तारित अधिदेश के साथ कार्य करेगी।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 22 मई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और जिन पर चर्चा हो रही है, की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें अन्य बातों के साथ साथ विस्तारित अधिदेश से निगरानी समिति (ओसी) के पुनर्गठन की बात कही थी। रिजर्व बैंक ने तब से ओसी को अपने तत्वाधान में किया है। वर्तमान में, ओसी में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होगें और यथा आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष द्वारा गठित बहु पीठ (मल्टीपल बेंच) के माध्यम से कार्य करेगी जो बैंकों द्वारा इसे भेजे गए मामलों पर राय देंगी।

(https://rbi.org.in/Scripts/BSPressReleaseDisplay.aspx?prid=40834)

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2017–18

संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांचवी बैठक 6–7 जून 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई में आयोजित की गई।

बैठक में सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी(2)(सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का अधिकारी); डॉ. विरल वी. आचार्य, उप–गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी उपस्थित हुए और इसकी अध्यक्षता डॉ. उर्जित आर. पटेल, गवर्नर द्वारा की गई।

7 जून 2017 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाए।

परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है जो वृद्धि को सहारा देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का 4% का उद्देश्य +/– 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर हासिल करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। इस निर्णय को रेखांकित करने वाले मुख्य विचारों को नीचे वक्तव्य में दिया गया है।

मौद्रिक नीति संकल्प की अन्य मुख्य बातों में शामिल है :

- जीएसटी के कार्यान्वयन से समग्र मुद्रास्फीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार, वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक संवृद्धित सकल मूल्य वृद्धि 6.6 प्रतिशत पर रखी गई है जो फरवरी 2017 में जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों से 0.1 प्रतिशत कम है।
- वर्ष 2017–18 के लिए वास्तविक जीवीए वृद्धि का अनुमान अप्रैल 2017 के अनुमान से 10 आधार अंक कम पर संशोधित कर इसे 7.3 प्रतिशत किया गया है। इसमें जोखिमों को समान रूप से संतुलित किया गया है।
- दुहरी तुलन–पत्र समस्या ओवर लीवरेज वाला कॉर्पोरेट क्षेत्र और दबावग्रस्त बैंकिंग क्षेत्र से निजी निवेश मांग में पुनरुत्थान में विलंब हो सकता है।
- वर्ष 2016–17 के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 1 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।
- धीरे–धीरे पुनर्मुद्रीकरण से अधिशेष चलनिधि में कमी आएगी।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां

मौद्रिक नीति परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंध ढांचा

- वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है। वर्ष 2017–18 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 4–4.5 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 4.5–5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है।
- एमपीसी हेडलाइन मुद्रास्फीति को 4.0 प्रतिशत के समीप लाने के लिए वचनबद्ध है।
- अधिशेष चलनिधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अवशोषण परिचालनों का औसत अप्रैल में ₹ 3.8 ट्रिलियन और मई में ₹ 3.4 ट्रिलियन रहा जिसमें बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत खज़ाना बिलों का निर्गम, नकदी प्रबंध बिलों (सीबीएम) की नीलामी और विभिन्न अवधियों की परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामियां शामिल हैं।
- एलएएफ कॉरिडोर को अप्रैल में +/– 50 आधार अंकों से घटाकर +/–25 आधार अंक करने के साथ यह सुनिश्चित किया गया कि भारित औसत कॉल मुद्रा का एलएएफ कॉरिडोर के अंदर व्यापक कारोबार किया गया।
- बैंकिंग प्रणाली में दैनिक औसत समग्र अधिशेष चलनिधि अप्रैल में ₹ 4.2 ट्रिलियन से बढ़कर मई में ₹ 3.5 ट्रिलियन हो गई।

बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण

- भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के तुलन पत्रों के दबाव का समाधान करने के लिए सरकार के साथ कार्य करना जारी रखेगा।
- बाजार दरों के साथ लघु बचतों पर प्रशासित ब्याज दरों का बेहतर संरेखन और उत्पादक क्षेत्रों में क्रेडिट के पर्याप्त प्रवाह के लिए बैंकों का बढ़ाया हुआ पुनर्पूंजीकरण महत्वपूर्ण कदम हैं।

वित्तीय बाजार

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में बढ़ोतरी हुई है जिसका कारण उन्नत होती वैश्विक वृद्धि संभावना, व्यापक रूप से प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों का उदार मौद्रिक नीति रुख और सामान्य रूप से सकारात्मक आवक आंकड़े हैं।
- अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में दूसरी तिमाही में वृद्धि देखी गई जो अमेरिका में पहले के शीर्ष स्तर से आगे निकल गई, जापान में इसे कॉर्पोरेट लाभ द्वारा प्रोत्साहन मिला और यूरो क्षेत्र में सहज राजनीतिक तनाव और उत्साहित आंकड़ों से सहायता मिली।
- फेडरल रिज़र्व के शांतपूर्ण मार्गदर्शन और अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं के बाद मई में अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ।

वित्तीय समावेशन और विकास

बैंकसुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों को बैंक सुविधा प्रदान करना

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2017 को राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलसीसी) के आयोजक बैंकों को सूचित किया कि वे शाखा प्राधिकार नीति के युक्तिसंगतीकरण पर संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) की समीक्षा और पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि 5000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में ऐसे बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों, यदि कोई है, को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) समर्थित बैंकिंग आउटलेट खोलकर अब बैंक सुविधा प्रदान की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 31 दिसंबर 2017 की इस बात की पुष्टि की जाए कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सभी बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों को बैंक सुविधा प्रदान कर दी गई है।

पृष्ठभूमि

एसएलबीसी को सूचित किया गया है कि वे 5000 से अधिक आबादी वाले उन गांवों की पहचान करें जिनमें उनके राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा नहीं है और उन गांवों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की पारंपरिक भौतिक बैंक शाखाएं आबंटित की जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10998Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट के लिए एलईआई

रिज़र्व बैंक ने 1 जून 2017 से रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए भारत में ओवर–द–काउंटर(ओटीसी) बाजारों में सभी सहभागियों के लिए चरणबद्ध तरीके से विधि संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली को लागू किया है। तदनुसार, सभी मौजूदा और भविष्य के प्रतिभागियों को यूनिक एलईआई कोड प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। एलईआई कोड के बिना संस्थाएं, अनुसूची में निर्दिष्ट तिथि के बाद, ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगी।

संस्थाएं ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) – एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग को समर्थन देने वाली संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्थानीय ऑपरेटिंग यूनिट (एलओयू) से एलईआई प्राप्त कर सकते हैं। भारत में, एलईआई कोड को लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल)(https://www.ccilindia-lei.co.in) से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत एलईआई जारी करने के लिए मान्यता प्राप्त है और जीएलईआईएफ द्वारा भारत में स्थानीय ऑपरेटिंग यूनिट (एलओयू) के रूप में एलईआई को जारी और प्रबंधन करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

एलईआई कोड प्राप्त करने के बाद, संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें जीएलईआईएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार नवीनीकृत किया गया है। कालातीत एलईआई को व्यापार भंडार (टीआर) रिपोर्टिंग के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए एलईआई कोड को एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। एलईआई एक 20-वर्णीय यूनिक पहचान कोड है जो संस्थाओं को दिया गया है जो कि वित्तीय लेनदेन की सहभागी है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10988Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

विदेशों में रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करना

विदेशों में रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (मसाला बॉण्ड्स) जारी करने के लिए निर्धारित ढांचे की समीक्षा करने पर तथा ईसीबी ढांचे के विभिन्न तत्वों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2017 को निर्णय लिया है कि पात्र भारतीय संस्थाओं द्वारा इन बॉण्ड्स को जारी करते हुए उधार लेने के प्रत्येक प्रस्ताव की विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि मसाला बॉण्डों की परिपक्वता अवधि, समग्र लागत सीमा तथा मान्यताप्राप्त उधारदाता (निवेशक) से संबंधित प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :

i. परिपक्वता अवधि: प्रति वर्ष भारतीय रुपए के समतुल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि तक जारी किए गए मसाला बॉण्ड्स के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की तथा प्रति वर्ष भारतीय रुपए के समतुल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि तक जारी किए गए बॉण्ड्स के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि होनी चाहिए।
ii. समग्र लागत सीमा: ऐसे बॉण्ड्स के लिए समग्र लागत सीमा समान परिपक्वता वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित प्रतिफल से 300 आधार अंक अधिक होगी।
iii. मान्यताप्राप्त निवेशक: निवेशक के रूप में अनुमत संस्थाएं संबंधित पार्टी नहीं होंगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10994Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा

पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पास बुक में पीपीओ संख्या की रिकॉर्डिंग

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2017 को सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया कि वे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पासबुक में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को रिकार्ड करें।

इससे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों द्वारा मूल पीपीओ के गुम हो जाने की स्थिति में, पीपीओ संख्याओं की उपलब्धता के अभाव में डुप्लीकेट पीपीओ लेने के लिए, पेंशन खाते को एक बैंक/शाखा से दूसरी बैंक/शाखा में हस्तांतरित करने, पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी या आश्रित बच्चों को परिवार पेंशन देने की शुरुआत करने आदि में उनके द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली मुश्किलें कम करना है।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने देखा कि कुछ एजेंसी बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को जारी सभी पेंशन पासबुकों में पीपीओ संख्या की रिकार्डिंग के संबंध में अनुदेश अभी लागू नहीं किए हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10997Mode=0)

एजेंसी कमीशन दावे प्रस्तुत करने की अवधि

रिज़र्व बैंक ने 15 जून 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक में एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने के लिए एजेंसी बैंकों के अनुमत समय को दो तिमाहियों से घटाकर संबंधित तिमाही, जिसमें ये लेनदेन किए जाते हैं, की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर कर दिया है। यदि बैंक ऊपर उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर दावे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो वे इसे विलंब होने का कारण प्रदर्शित करते हुए ही अग्रेषित करें।

यह 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही और उसके बाद के एजेंसी कमीशन दावों के लिए लागू होगा।

पृष्ठभूमि

सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे पात्र एजेंसी कमीशन के अपने दावे संबंधित तिमाही, जिसमें ये लेनदेन किए गए हैं, की समाप्ति से दो तिमाहियों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11001Mode=0)

सरकारी प्राप्तियों के लिए एजेंसी कमीशन का भुगतान

वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के कार्यान्वयन के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2017 को सूचित किया है कि जीएसटी भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत एकल आम पोर्टल पहचान नंबर (सीपीआईएन) जिसे चालान पहचान नंबर (सीआईएन) के सृजन के लिए सफलता से प्रोसेस किया गया है, उसे एकल लेनदेन समझा जाए चाहे खातों के बहु प्रमुख शीर्ष/उप प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष क्रेडिट हुए हों। इसका अर्थ है कि एकल चालान से भुगतान किए गए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस आदि एकल लेनदेन होंगे। इस प्रकार एकल चालान अर्थात सीपीआईएन के अंतर्गत शामिल ऐसे सभी रिकार्डों को एजेंसी कमीशन का दावा करने के प्रयोजन से एकल लेनदेन ही माना जाएगा। यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।

इसी प्रकार, जीएसटी के अंतर्गत कवर नहीं किए गए लेनदेनों के मामले में इस बात पर बल दिया गया है कि एकल चालान (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक) को केवल एकल लेनदेन समझा जाए और बहु लेनदेन नहीं माने जाए चाहे चालान में खातों के बहु प्रमुख शीर्ष/उप प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष हो जो क्रेडिट होंगे। हम पुनः दुहराते हैं कि प्रोसेस किए गए एकल चालान के अंतर्गत शामिल रिकार्डों को एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने के प्रयोजन से एकल लेनदेन माना जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11010Mode=0)

आंतरिक ऋण प्रबंध

वार्षिक सूचना विवरणी की प्रस्तुति

रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2017 को सभी बैंकों को सूचित किया कि आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) में नीचे उल्लिखित बदलाव किए हैं:

- एआईआर का नाम वित्तीय अंतरण विवरणी के रूप में परिवर्तित किया गया है।
- राशि की सीमा एक साल में 5 लाख या उससे अधिक से 10 लाख या उससे अधिक कर दिया गया है।
- फाइल करने की तारीख को इसके तुरंत बाद के वित्त वर्ष के 31 अगस्त से बदलकर 31 मई कर दिया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10979Mode=0)

इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि कुछ एजेंसी बैंकों द्वारा बचत बॉन्डों के संदर्भ में वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर जिसे अब वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफ़टी) के रूप में परिवर्तित किया गया है) आयकर प्राधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे।

चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी इस सूचना को समेकित करते हुए आयकर विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बचत बॉन्डों से संबंधित आंकड़ों के दुहरीकरण से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने 30 मई 2017 को सभी एजेंसी बैंक/स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) को सूचित किया कि वे आगे से अपेक्षित सूचना केवल संबंधित क्षेत्राधिकार के लोक ऋण कार्यालय को ही प्रस्तुत करें। उन्हें यह सूचना आयकर प्राधिकारियों के समक्ष अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10987Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।